राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

बी–ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 287

दिनांक :– 11.08.2017

प्रश्नकर्ता :– श्री जगदीश प्रधान, विधायक

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के जिन कॉलोनियों में एससी/एसटी की जनसंख्या 60 प्रतिशत से अधिक होती है, उसमें एससी/एसटी/ओबीसी विभाग मूलभूत सुविधाएं प्रदान कराने के लिए व्यय करता है,	विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती सुधारीकरण योजना के अर्न्तगत उन प्रगणन ब्लॉक (EBs) मे जहां अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की जनसंख्या 33 प्रतिशत से अधिक होती है वहां पर सुधार कार्य करवाये जाते है।
ख	यदि हॉ, तो दिल्ली में ऐसी कॉलोनियां कितनी है,	दिल्ली में ऐसी कॉलोनियां चिन्हित नही की गई है। हॉलाकी, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आरजीआई द्वारा प्रकाशित आंकडों के अनुसार ऐसे प्रगणन ब्लॉको (EBs) की संख्या **5205** है जहां पर अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 33 प्रतिशत से अधिक है।
ग	इन कॉलोनियों के लिए वर्ष 2015–16, 2016–17 में कितना बजट रखा गया था और कितना व्यय हुआ, और	उपरोक्त योजना में वर्ष 2015–16, 2016–17 में क्रमशः रुपये 37 करोड तथा 50 करोड का प्रावधान रखा गया था जिसमें क्रमशः रुपयें 29.49 करोड तथा 26.50 करोड रुपये का व्यय किया गया।
घ	वर्ष 2017–18 के लिए कितने धन का प्रावधान रखा गया है?	वर्ष 2017–18 के लिए उपरोक्त योजना में रुपये 50 करोड का प्रावधान किया गया है।

(सचिव)

अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./कल्याण विभाग